


न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द
मुकदमा नम्बर 167/2018 अनवान के.शा.बा. बनाम के.डी.बा.ई

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
22/4/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण एवं उनके अधिवक्ता को रूक-रूक कर कई बार आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी गण न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी गण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं हैं।</p> <p>अतः वादी/प्रार्थी गण की ओर से प्रकरण में पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


(बृजेश गुप्ता R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द